


## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती श्रीमती सरिता  
पिता/मति का नाम श्री श्री. श्री. इन्द्र प्रसाद  
स्थल प्लॉट नं. 33/प्र0अ0 (अ.क.) जे.ए. 1/10-1 20 ताशब-इ. मा. 37/2011 इलाहाबाद। जो न संख्या (1)  
के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र में प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति  
निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. भवन पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थल का उपयोग/अधिभोग किया जायेगा।
2. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना आवश्यक होगा।
3. स्थल का उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
4. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
5. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़या, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
6. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
7. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
8. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
9. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।



मानचित्र से उत्तर  
परिष्कारित  
Gulam Saif  
1/8/11


30/7/2011  
संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद।




PART OF FREE HOLD PLOT NO. W. CIVIL STATION



SITE PLAN




STILL FLOOR PLAN



GROUND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN



PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS

RAIN WATER PIPE SHOWN THUS

DOOR WINDOW SCHEDULE	
DOOR	D1 1500x2400
	D2 1300x2400
	D4 1500x0900
WINDOW	W1 1800x1800
	W4 1200x1380
	W3 800x1380
VINT	V3 900x450

DETAIL OF BEAM (230X300) Scale-n.T.S.

**THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS ACCORDING TO BY LAWS AND NORMS OF A.D.A. 2021**

OWNER NAME

**SRI GULAM SARWAR  
S/O LATE MOHD. ISMIL**

AREA SCHEDULE IN SQ.MT.

	COVERED AREA ON SITE
1	TOTAL AREA OF PLOT 111.47 sqmt.
2	ROAD WIDENING AREA 16.23 sqmt.
3	NET PLOT AREA 96.24 sqmt.
4	COVER ON STILL FLOOR PLAN 41.35 sqmt.
5	COVER ON GROUND FLOOR PLAN 41.35 sqmt.
6	COVER ON FIRST FLOOR PLAN 41.35 sqmt.
7	OPEN AREA 54.89 sqmt.
8	MUMTY AREA 10.45 sqmt.
9	PROPOSED GROUND COV. 42.98%
10	PERMISSIBLE GROUND COV. 60%
11	PROPOSED F.A.R. 0.86
12	PERMISSIBLE F.A.R. 1.20

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN PART OF FREE HOLD PLOT NO. W 120 MOHALLA TASKAND MARG KOOPER ROAD CIVIL STATION PARJANA & TEHSIL SADAR DISTT. ALLAHABAD.


DATE 23-06-2010

SCALE 1:100

DETAIL BY Chandradass

SIG. OWNER  
*Gulam Sarwar*

SIG. ENGR  
*Chandradass*  
Er. A. J. Sarwar  
B. Arch. 1981  
CIVIL ENGINEER No. 61652/2005-4  
The Institution of Engineers (India)




SECTION AT A-B

FRONT ELEVATION



TERRACE PLAN



KEY PLAN N.T.S.

